P-267

सं0/No. 1/37/2004 -जीवनांक-(सीआरएस)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066

तार : जनगणना/REGGENLIND Tele-fax : 26100678 E-mail – *drg_crs@censusindia.gov.in*

दिनांक 12-12-2006

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु,
तथा निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी,
राजस्थान, योजना भवन,
नई हाई कोर्ट बिल्डिंग की पीछे,
तिलक मार्ग, सी स्कीम,
जयपुर - 302005

विषयः- जन्म प्रमाणपत्र में माता के नाम के सामने सरनेम (उपनाम) लगाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13/1/(3)/वीएस/डीईएस/ 2004/32107, दिनांक 5-12-06 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपने पूर्व में जारी जन्म प्रमाणपत्र में माता के नाम में सरनेम (उपनाम) जोड़ने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 15 तथा तत्संबंधी राज्य नियम 11 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की सत्यता की जांच कर यदि रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु उससे संतुष्ट है तब वह जन्म प्रमाणपत्र में आवश्यक संशोधन कर सकता है । इस संबंध में यदि चाहें तो आवेदक द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है ।

इस तरह आप राजस्थान राज्य जन्म मृत्यु नियमावली, 2000 के नियम 11 (4) व (6) के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक संशोधन करते हुए संशोधित जन्म प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं ।

DDV 18/12

भवदीय,

अ० खन्ना
12.12.06

(अजय खन्ना)
सहायक निदेशक

Scanned with CamScanner